चुनाव अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः–प.13(2)साप्र/2/2013 जयपुर, दिनांकः 20.12.2021

–ः आदेश ः–

राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी घोषणा के अनुसार राज्य के 08 जिलों अलवर, बूंदी, जयपुर, जालौर, नागौर, राजसमंद, सिरोही एवं टोंक की 09 नगरीय निकायों में 11 सदस्यों के उप चुनाव से संबंधित प्राप्त पत्र की प्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही है। अतः मतदान दिवस दिनांक 21.12.2021 (मंगलवार) को होने के कारण आदर्श आचार संहिता भाग–7 की पालना सुनिश्चित करने का श्रम करें:–

1. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव समाप्ति तक शासकीय दौरे पर नहीं जायेगें। केवल ऐसी स्थिति में जहां कानून व्यवस्था बिगड़ जाने पर या किसी आपात स्थिति के कारण संबंधित विभाग के माननीय मंत्री की उपस्थिति आवश्यक है, वहां उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा लेकिन इसकी सूचना विभाग के शासन सचिव द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जावेगी।
2. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहे तो वे किसी सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं करें और यदि निजी वाहन का प्रयोग करते है तो उस पर लालबत्ती या सायरन आदि का प्रयोग नहीं करें।
3. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहे तो चुनाव से संबंधित अधिकारियों को नहीं बुलाऐं।
4. माननीय मंत्रीगण जब चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में रहें वहां स्थित विश्राम गृह, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों का या इससे संलग्न परिसरों का उपयोग प्रचार कार्यालय के रूप में या चुनाव से संबंधित कोई बैठक करने की दृष्टि से नहीं करें।
5. सरकारी विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों को निष्पक्ष तरीके से अन्य दलों या अभ्यर्थियों को भी उपयोग करने की अनुमति दी जायेगी लेकिन वे भी उनका चुनाव से संबंधित कार्य में इस्तेमाल नहीं करेंगे।
6. सरकारी अधिकारी, माननीय मंत्रीगण के दौरे के समय उनके किसी स्वागत में या प्रोटोकॉल में नहीं जायेगें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल की आज्ञा से,

20/12/21

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
4. प्रमुख सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त सचिव (जीबी), मुख्यमंत्री कार्यालय ।
8. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण, राजस्थान जयपुर।
9. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
10. उप सचिव,राज्य निर्वाचन आयोग,राजस्थान,जयपुर को उनके पत्र कमांक 5979, 5969, 5966, 5900 दिनांक 30.11.2021 के क्रम में।
11. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव /विशिष्ठ शासन सचिवगण।
12. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. निबन्धक ,राजस्व मण्डल, अजमेर।
14. निजी सचिव, शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग ।
15. संम्भागीय आयुक्त अजमेर, कोटा, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर ।
16. जिला कलक्टर अलवर, बूंदी, जयपुर, जालौर, नागौर, राजसमंद, सिरोही एवं टोंक।
17. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच, जयपुर।
18. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
19. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
20. समस्त विभागाध्यक्ष राजस्थान/समस्त निगम/मण्डल के अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक।
21. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–1,3,4,5,6)विभाग/सम्पदा विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
22. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
23. रक्षित पत्रावली ।

20/12/21

डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल

सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
प्राप्ति संख्या 2648
दिनांक 16/12/2021

7132
सामरी क्रमांक 02/12/21

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in , Ph./FAX 0141-2227280, 2227092

दिनांक : 30/11/2021

क्रमांक: एफ 4(2)(1)नपा/रानिआ/पार्ट-II/21/5979

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव,
राजस्थान, जयपुर।

विषय :- नगरीय निकायों के उप चुनाव माह दिसम्बर, 2021 – चुनाव हेतु कार्यक्रम की घोषणा।

महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के 08 जिलो की 09 नगरीय निकायों में 11 सदस्यों के उप चुनाव कराने हेतु चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। घोषित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन की लोकसूचना दिनाक 06.12.2021 को जारी होगी एवं मतदान दिनांक 21.12.2021 को होगा। मतगणना दिनांक 23.12.2021 को होगी। रिक्त पदों की सूची एवं उप चुनाव हेतु कार्यक्रम पत्र के साथ संलग्न है।

चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही इन निर्वाचन क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। आदर्श आचरण संहिता की पुस्तिका संलग्न है।

AS-5
3/12/21

संलग्नः- 1. चुनाव कार्यक्रम एवं रिक्त पदों की सूची।
2. आदर्श आचरण संहिता की पुस्तिका।

भवदीय,

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

E:\NAGARPALIKA\00 NP\0 NP Main folder\By Election 2018-2020\F4(2)(1) NP SEC 2021 P-II_bye-election , 2021.doc
30

उप चुनाव हेतु चुनाव कार्यक्रम

क.सं.	कार्य का विवरण	दिनांक
1.	लोक सूचना जारी करने की तिथि	06.12.2021 (सोमवार)
2.	नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	10.12.2021 (शुक्रवार) प्रातः 10.30 से अपराह्न 3.00 बजे तक
3	नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि	11.12.2021 (शनिवार) प्रातः 10:30 बजे से
4	अभ्यर्थिता वापिस लेने की अंतिम तिथि	13.12.2021 (सोमवार) अपराह्न 3.00 बजे तक
5	चुनाव चिन्हों का आवंटन	14.12.2021 (मंगलवार)
6	मतदान की तिथि एवं समय	21.12.2021 (मंगलवार) प्रातः 7.30 बजे से सांय 5.30 बजे तक
7.	मतगणना की तिथि एवं समय	23.12.2021 (गुरूवार) प्रातः 9.00 बजे से

राज्य निर्वाचन आयोग

उप चुनाव हेतु नगरीय निकायों की सूची

क्र.सं.	जिले का नाम	क्र.सं.	नगरनिगम / नगरपरिषद / नगरपालिका का नाम	रिक्त वार्ड सं.
1.	अलवर	1.	न.प. अलवर	24
2.	बून्दी	2.	न.पा. केशोरायपाटन	19
3.	जयपुर	3.	न.नि. जयपुर हैरिटेज	57
		4.	न.नि. जयपुर हैरिटेज	97
4.	जालोर	5.	न.पा. भीनमाल	35
		6.	न.पा. सांचौर	17
5.	नागौर	7	न.पा. मकराना	24
6.	राजसमन्द	8.	न.पा. नाथद्वारा	24
7.	सिरोही	9.	न.प. सिरोही	29
8.	टोंक	10.	न.प. टोंक	42
		11.	न.प. टोंक	28

23.11.2021

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

02/12/21

शासन सचिव
सामान्य प्रशासन, मंत्रिमण्डल, ... स्टेट ... एवं नागरिक ... विभाग

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
E-mail- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: एफ 4(2)(1)नपा/रानिआ/पार्ट–II/21/5969 दिनांक : 30/11/21

शासन सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय :– नगरीय निकायों के उप चुनाव माह दिसम्बर, 2021 – आदर्श आचरण संहिता की पालना बाबत्।

महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के 08 जिलों की 09 नगरीय निकायों में 11 सदस्यों के उप चुनाव कराने हेतु चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। घोषित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन की लोकसूचना दिनांक 06.12.2021 को जारी होगी एवं मतदान दिनांक 21.12.2021 को होगा। रिक्त पदों की सूची एवं उप चुनाव हेतु कार्यक्रम पत्र के साथ संलग्न है।

घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में लागू हो गये हैं, जो चुनाव प्रकिया समाप्ति तक लागू रहेंगे। अतः आदर्श आचरण संहिता के भाग–7 की पालना सुनिश्चित करवायी जावे। आदर्श आचरण संहिता की पालना हेतु निम्नांकित बिन्दुओं पर भी राजकीय आदेश प्रसारित करना वांछनीय है :–

1. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव समाप्ति तक शासकीय दौरे पर नहीं जायेंगे। केवल ऐसी स्थिति में जहां कानून व्यवस्था बिगड़ जाने पर या किसी आपात स्थिति के कारण संबंधित विभाग के माननीय मंत्री की उपस्थिति आवश्यक है, वहां उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा लेकिन इसकी सूचना विभाग के शासन सचिव द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जावेगी।
2. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहें तो सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं करें और यदि निजी वाहन का प्रयोग करते हैं तो उस पर सायरन आदि का प्रयोग नहीं करें।
3. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहें तो चुनाव से संबधित अधिकारियों को नहीं बुलाऐ।
4. माननीय मंत्री गण जब चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में रहें वहां स्थित विश्राम गृह, डाक बंगलो या अन्य सरकारी आवासों का या इससे संलग्न परिसरों का उपयोग प्रचार कार्यालय के रूप में या चुनाव से संबंधित कोई बैठक करने की दृष्टि से नहीं करें।
5. सरकारी विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों को निष्पक्ष तरीके से अन्य दलों या अभ्यर्थियों को भी उपयोग करने की अनुमति दी जावेगी, लेकिन वे भी उनका चुनाव से संबंधित कार्य में इस्तेमाल नहीं करेंगे।
6. निर्वाचन से जुडे सरकारी अधिकारी, माननीय मंत्रीगण के दौरे के समय उनके किसी स्वागत में या प्रोटोकॉल में नहीं जायेंगे।

उपरोक्तानुसार निर्देश प्रसारित कर आयोग को भी अवगत करावें।

सलंग्नः– 1. चुनाव कार्यक्रम एवं रिक्त पदों की सूची।
2. आदर्श आचरण संहिता की पुस्तिका

आज्ञा से,

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमाकः एफ 4(2)(1)नपा/रानिआ/पार्ट–II/21/5970 दिनांक : 30/11/21

प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) अलवर, बून्दी, जयपुर, जालोर, नागौर, राजसमन्द, सिरोही एवं टोंक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

E:\NAGARPALIKA\00 NP\0 NP Main folder\By Election 2018-2020\F4(2)(1) NP SEC 2021 P-II_bye-election, 2021.doc
21

डायरी क्रमांक 7104 / 07/12/21

शासन सचिव
सामान्य प्रशासन, मंत्रिमण्डल,
(ग्रुप), स्टेट मोटर गैराज
एवं नागरिक उड्डयन विभाग

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, शासन सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, Ph/FAX 0141-2227280, 2227073

क्रमांक: एफ 4(2)(1)नपा / रानिआ / पार्ट–II / 21 / 5966

दिनांक : 30/11/2021

शासन सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय :– नगरीय निकायों के उप चुनाव माह दिसम्बर, 2021 – अभ्यर्थियों द्वारा अथवा उनकी ओर से राजनैतिक नेताओं या कार्यकर्ताओं द्वारा स्थानीय निकायों, सार्वजनिक उपक्रमों आदि के वाहनों के प्रयोग का निषेध।

महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के 08 जिलों की 09 नगरीय निकायों में 11 सदस्यों के उप चुनाव कराने हेतु चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। घोषित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन की लोकसूचना दिनांक 06.12.2021 को जारी होगी एवं मतदान दिनांक 21.12.2021 को होगा। रिक्त पदों की सूची एवं उप चुनाव हेतु कार्यक्रम पत्र के साथ संलग्न है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता भी लागू हो गई है।

SS, GAD

स्थानीय निकायों, सार्वजनिक उपक्रमों, आदि के वाहनों का चुनाव प्रचार से संबंधित कार्यों के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रयोग में लेना राजकीय तन्त्र का दुरूपयोग माना जावेगा, क्योंकि ये निकाय किसी न किसी रूप में सरकार द्वारा नियंत्रित अथवा पोषित होते हैं। मतदाताओं का ऐसे वाहनों में मतदान केन्द्र तक प्रवहण (Free Conveyance) भी एक निर्वाचन अपराध एवं भ्रष्ट आचरण है। इसलिए निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए राजकीय वाहनों का दुरूपयोग रोका जाना चाहिए।

AS-5

अतः अनुरोध है कि जिले में कार्यरत ऐसे स्थानीय निकायों जैसे– नगरपालिकाओं तथा सार्वजनिक उपक्रमों, आदि से संबंधित समस्त अधिकारियों को तुरन्त अलंघनीय निर्देश जारी करें कि निर्वाचनों के परिणामों की घोषणा होने तक इन निकायों के वाहनों का निर्वाचन के कार्यो के लिए अभ्यर्थियों और उनके लिए कार्य कर रहे पदाधिकारियों या अन्य व्यक्तियों द्वारा किसी भी रूप में उपयोग में लेना निषिद्ध रखें।

07/12/21

संलग्न :– रिक्त पदों की सूची एवं चुनाव कार्यक्रम।

भवदीय,
चित्रा
(चित्रा गुप्ता)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांक: एफ 4(2)(1)नपा / रानिआ / पार्ट–II / 21 / 5967-68

दिनांक : 30/11/21

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक एवं पदेन विशिष्ट संचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

E:\NAGARPALIKA\00 NP\0 NP Main folder\By Election 2018-2020\F4(2)(1) NP SEC 2021 P-II_bye-election , 2021.doc
20

7116

डायरी क्रमांक 02/12/21

शासन सचिव
सामान्य प्रशासन, मंत्रिमण्डल,
संपदा, राज्य मोटर गैराज
एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, शासन सचिवालय, जयपुर)
(E.mail- secraj@rajasthan.gov.in (Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक: एफ.4(2)(1)नपा / रानिआ / पार्ट – II / 2021 / 5900   दिनांक : 29.11.21

प्रेस–नोट

आयोग द्वारा राज्य के समस्त नगरीय निकायों में दिनांक 30.09.2021 तक विभिन्न कारणों से रिक्त हुए पदों पर उप चुनाव कराने हेतु रिक्तियों की सूचना समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों (कलक्टर) से प्राप्त की गई। इन रिक्तियों में से सदस्यों के 11 पद उन निकायों में है जिनकी निर्वाचक नामावली अर्हता तिथि 01.01.2021 के संदर्भ में तैयार है।

आयोग द्वारा जिन निकायों में अर्हता तिथि 01.01.2021 के संदर्भ में निर्वाचक नामावली तैयार है उन निकायों में रिक्त पदों पर उप चुनाव कराने पर विचार किया गया। ऐसे रिक्त पदों की सूचना निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	जिले का नाम	क्र.सं.	नगरनिगम / नगरपरिषद / नगरपालिका का नाम	रिक्त वार्ड सं.
1.	अलवर	1	न.प. अलवर	24
2.	बून्दी	2.	न.पा. केशोरायपाटन	19
3.	जयपुर	3.	न.नि. जयपुर हैरिटेज	57
		4.	न.नि. जयपुर हैरिटेज	97
4.	जालोर	5.	न.पा. भीनमाल	35
		6.	न.पा. सांचौर	17
5.	नागौर	7	न.पा. मकराना	24
6.	राजसमन्द	8.	न.पा. नाथद्वारा	24
7.	सिरोही	9.	न.प. सिरोही	29
8.	टोंक	10.	न.प. टोंक	42
		11.	न.प. टोंक	28

DLOP
JS-GAD(5)
JS-SMG
Sr. Adv.(CA)
01/12/21

उप चुनाव हेतु कार्यक्रम निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	कार्य का विवरण	दिनांक
1.	लोक सूचना जारी करने की तिथि	06.12.2021 (सोमवार)
2.	नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	10.12.2021 (शुक्रवार) प्रातः 10.30 से अपराह्न 3.00 बजे तक
3.	नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि	11.12.2021 (शनिवार) प्रातः 10:30 बजे से
4.	अभ्यर्थिता वापिस लेने की अंतिम तिथि	13.12.2021 (सोमवार) अपराह्न 3.00 बजे तक
5.	चुनाव चिन्हों का आवंटन	14.12.2021 (मंगलवार)
6.	मतदान की तिथि एवं समय	21.12.2021 (मंगलवार) प्रातः 7.30 बजे से सांय 5.30 बजे तक
7.	मतगणना की तिथि एवं समय	23.12.2021 (गुरूवार) प्रातः 9.00 बजे से

AS-5
03/12/21

29.11.2021

उक्त उप चुनाव ईवीएम के माध्यम से संपन्न कराए जायेगें।

- मतदाताओं की पहचान

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान राज्य के लगभग सभी मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) जारी हो चुके हैं। मतदान के दौरान मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए उक्त फोटो